प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ : बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 658 / 2007

अपीलकर्ता खिति साहू (भोई)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण यशवंत कुमार साहू एवं अन्य

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खंडपीठ: श्री आई. एम. क़ुद्दूसी

एवं माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण

श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से।

श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 7 सितम्बर, 2011 को पारित)

आई. एम. क़ुद्दूसी, न्यायमूर्ति के अनुसार :

1. अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई यह अपील दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक

10/1996 में पारित अधिनिर्णय से उत्पन्न होती है, जिसमें दावा-कर्ता को कुल 4,70,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी और दायित्व अपीलकर्ता पर अधिरोपित किया गया था।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि घायल/दावाकर्ता यशवंत कुमार साहू, अपीलकर्ता/अनावेदक क्रमांक 1 के वाहन मरम्मत कार्यशाला में ट्रैक्टर मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। दिनांक 19.09.1995 को अनावेदक क्रमांक 2 (ट्रैक्टर का स्वामी) अनावेदक क्रमांक 1 की कार्यशाला में आया और अनुरोध किया कि उसका ट्रैक्टर, जो कि बसना में प्रकाश मेडिकल स्टोर्स के पास खड़ा है की मरम्मत करे। इसलिए, अनावेदक क्रमांक 1 के निर्देशानुसार घायल/दावाकर्ता स्थल पर गया और ट्रैक्टर की मरम्मत प्रारंभ की। मरम्मत के दौरान जिस जैक पर वाहन रखा हुआ था, वह फिसल गया और इस प्रकार ट्रैक्टर-ट्रॉली घायल/दावाकर्ता के शरीर पर गिर गई। उस दुर्घटना में घायल/दावाकर्ता की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी कमर पर भी गंभीर चोटें आईं, जिससे उसे स्थायी विकलांगता हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दावाकर्ता/घायल ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की और विभिन्न मदों में कुल 5,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की।

4. माननीय दावा अधिकरण ने तथ्यों और अभिलेखों पर विचार करते हुए कुल 4,70,000/- रुपये की राशि ब्याज @ 6% प्रति वर्ष सहित दावाकर्ता को प्रदान किया और दायित्व अपीलकर्ता/अनावेदक क्रमांक 1 का माना।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने, अपीलित अधिनिर्णय और अभिलेखों का परीक्षण किया।

6. दावा अधिकरण ने कुल 8 वाद प्रश्न तय किए। वाद प्रश्न क्र. 3 को अप्रमाणित माना गया, शेष वाद प्रश्न अर्थात वाद प्रश्न क्र. 1, 2, 4 और 5 को प्रमाणित माना गया। इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उठा कि क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत वाहन मरम्मत कार्यशाला के स्वामी के विरुद्ध दावा याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अधिकरण ने वाद प्रश्न क्र. 7 इस प्रकार तय किया कि "क्या आवेदक का आवेदन अधिकरण के समक्ष ग्राह्य है?" और इसका उत्तर दिनांक 01.08.1998 को पहले ही दिया जा चुका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. आगे बढ़ने से पहले, यह ज़रूरी है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165, 166, 167 एवं 168 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाए, जो इस प्रकार हैं:

"165. दावा अधिकरण- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए

गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं।

स्पष्टीकरण- शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि "उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है" पद के अंतर्गत धारा 140 {और धारा 163ए} के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और जहां वह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है वहां उनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण का सदस्य नियुक्त होने के लिए तब योग्य होगा जब वह –

(अ) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रहा हो; या

(ब) जिला न्यायाधीश हो, या रहा हो; या

(स) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश {या जिला न्यायाधीश} के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो।

(4) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए जाते हैं, वहाँ राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कार्य का वितरण प्रबंध कर सकती है।"

"**166. प्रतिकर के लिए आवेदन-** (1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा; या

(ग) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा :

बशर्ते कि, जहां प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावाकर्ता के विकल्प पर, उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता थी जिसमें दुर्घटना हुई है, अथवा उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है अथवा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, किया जाएगा और वह ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टिया होगी जो विहित की जाए ।

बशर्ते कि, जहाँ ऐसे आवेदन में धारा 140 के तहत मुआवज़े के लिए कोई दावा नहीं किया गया है, वहाँ आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर से ठीक पहले इस आशय का एक अलग बयान शामिल होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) xxx

(4) दावा अधिकरण, धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा ।

167. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प- जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए, अध्याय 10

के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा।

168. दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय- (1) धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी है), यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा तथा, [धारा 163] के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा, और अधिनिर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के जो दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त था, स्वामी या ड्राइवर द्वारा, अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बशर्ते कि, जहाँ ऐसे आवेदन में धारा 140 के अंतर्गत मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में क्रमांक का दावा किया गया है, वहाँ ऐसा दावा और अन्य कोई दावा (चाहे ऐसे आवेदन में किया गया हो या अन्यथा) मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में अध्याय X के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा।

(2) दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को शीघ्र ही, और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, परिदत्त करने की व्यवस्था करेगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है वहां वह व्यक्ति जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय घोषित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिनिर्णीत समस्त रकम, ऐसी रीति से जैसी दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे, जमा करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 165 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन कर सकती है, जिसका उद्देश्य उन प्रावधानों का निर्णय करना है जो मोटरयान के उपयोग से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति अथवा किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को हानि पहुँचाने से उत्पन्न होते हैं या दोनों के लिए। धारा 166 के तहत यह प्रावधान है कि घायल व्यक्ति अथवा संपत्ति का स्वामी दावा प्रस्तुत कर सकता है। अधिनियम, 1988 की धारा 167 के तहत यह विकल्प प्रदान किया गया है कि प्रतिकर करने वाले को श्रमिक प्रतिकर आयुक्त या दावा अधिकरण के सामने प्रतिकर याचिका दायर करने का मौका देती है, लेकिन दोनों अधिनियम के तहत नहीं। अधिनियम, 1988 की धारा 168 में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि दावा अधिकरण उस रकम को तय करेगा जो दुर्घटना में शामिल

गाड़ी के बीमाकर्ता, वाहन स्वामी अथवा चालक या उन सभी या उनमें से किसी एक को देनी होगी, जैसा भी मामला हो। लेकिन, बीमाकर्ता, वाहन स्वामी अथवा चालक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

9. अतिरिक्त रूप से यह अभिप्रेत है कि मोटरयान का उपयोग तब भी माना जा सकता है जब वाहन स्थिर अवस्था में हो, लेकिन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु यह आवश्यक है कि चालक की लापरवाही अथवा वाहन स्वामी का अवैध कृत्य, उपेक्षा या चूक सिद्ध की जाए परन्तु अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि दावा करने वाले को यह निवेदन अथवा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता, जिसके संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है, वाहन स्वामी अथवा संबंधित वाहन अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अवैध कृत्य, उपेक्षा या चूक के कारण हुई है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. वर्तमान वाद में अधिकरण ने क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति से दिलाने का आदेश पारित किया जो मोटरयान मरम्मत कार्यशाला का स्वामी था, जबकि वह न तो वाहन का स्वामी था, न चालक और न ही बीमाकर्ता था, जिस वाहन से दुर्घटना घटित हुई थी।

11. प्रतिवादी क्रमांक 1 अर्थात् दावा करने वाले के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एकलपीठ द्वारा दिनांक 06.10.2006 को पारित आदेश (मोटर अपील क्रमांक 1200/1998) पर निर्भरता व्यक्त की है, जिसमें यह अभिप्रेत किया गया कि यदि दावा करने वाले को मोटरयान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना में शारीरिक चोट पहुँची है, तो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दावा याचिका ग्राह्य है और धारा 167 के प्रावधानों के अनुसार दावा करने वाले को यह विकल्प प्राप्त है कि वह क्षतिपूर्ति हेतु या तो मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अथवा कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अपील वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा उस आदेश दिनांक 01.08.1998 के विरुद्ध दायर की गई थी, जब दावा अधिकरण ने प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में वाद प्रश्न क्रमांक 7 का निर्णय करते हुए दावा याचिका को ग्राह्य माना था, और उक्त आदेश से आहत होकर अपीलकर्ता ने विविध क्रमांक 1200/1998 दायर की थी, जिसमें उपर्युक्त विधिक स्थिति स्पष्ट की गई थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. उपरोक्त परिस्थितियों में यह विवादित नहीं है कि दावा याचिका बीमाकर्ता, वाहन स्वामी तथा चालक के विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है, और दावा याचिका में याचिकाकर्ता ने वाहन के स्वामी को भी एक पक्षकार/प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया था। अतः प्रारम्भिक अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रतिवादी में से एक यानी वाहन स्वामी के विरुद्ध दावा याचिका ग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में

जहाँ वाहन का स्वामी प्रतिवादी के रूप में दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित था, दावा याचिका ग्राह्य थी; किन्तु इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या वाहन मरम्मत कार्यशाला के स्वामी को धारा 166 के अधीन, अधिनियम 1998 के धारा 168 के प्रावधानो के आलोक में, क्षतिपूर्ति देने हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वर्तमान मामले में अधिकरण ने यह माना कि वाहन का स्वामी क्षतिपूर्ति देने हेतु उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अपीलकर्ता अर्थात् वाहन मरम्मत कार्यशाला का स्वामी क्षतिपूर्ति देने हेतु उत्तरदायी है। दावा याचिका में याचिकाकर्ता ने वाहन मरम्मत कार्यशाला के स्वामी के विरुद्ध कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि प्रतिवादियों से संयुक्त एवं पृथक रूप से क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमारे मत में जब याचिकाकर्ता कथित रूप से अपीलकर्ता का कर्मचारी था, जो मोटर यान मरम्मत कार्यशाला का स्वामी था, और यह दावा किया गया कि दुर्घटना नियोजन के दौरान हुई थी, तब वाहन का चालक अथवा वाहन का स्वामी उक्त दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, यद्यपि वाहन स्थिर अवस्था में था और सभी प्रयोजनों के लिए उसे प्रयोग में माना गया, ऐसी स्थिति में दावा अधिकरण को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने की कोई अधिकारिता नहीं थी।

14. उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और आक्षेपित निर्णय को यह घोषित करते हुए अपास्त करते है कि अपीलकर्ता के

विरुद्ध दायर दावा याचिका मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषणीय नहीं थी। व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं।

15. याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह विधि द्वारा उपलब्ध मंच अर्थात् कर्मकार प्रतिकार आयुक्त के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

16. इस चरण पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्षों को कर्मकार प्रतिकार आयुक्त द्वारा विचार में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे मत में आयुक्त किसी भी विधि के अधीन अधिकरण के निष्कर्षों पर विचार नहीं कर सकता, यदि उसके समक्ष कोई दावा याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उसे स्वतंत्र रूप से, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करना होगा और अतः इस संबंध में किसी प्रकार का निर्देश देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दावा अधिकरण के समक्ष दिनांक 11.03.1996 को याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 30.04.2007 को निर्णीत किया गया और वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.06.2007 को दायर की गई। अतः कर्मकार प्रतिकार आयुक्त, यदि घायल/याचिकाकर्ता द्वारा विलंब-माफी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे उदारतापूर्वक विचार कर निर्णय कर सकता है।

18. अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि अपीलकर्ता को वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
आई. एम. क़ुद्दूसी	जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur